



उपखण्ड अधिकारी (सीक) कलकत्ता

उक्त मूँसि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 9 के पूर्वज अमरराम द्वारा साधिकार कय की हुई होने तथा स्वर्गीय अमरराम के नाम उक्त मूँसि का खाता विधिवत बना हुआ होने तथा अमरराम व वादीगण का उक्त मूँसि पर शौतिक कब्जा होने पर भी बिना किसी सहम अहिकारी के आदेश के सर्वथा गलत रूप से व अवैध रूप से स्व. अमरराम के नाम विधिवत बनी खातेदारी गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के नाम अंकित कर दी जाे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 9 व स्वर्गीय अमरराम के एक अधिकारी के समझ अकल बोन्य व प्रभावहीन है।

उक्त मूँसि खसरा नंबर 28 रकबा 11.70 हैक्टयर वर्तमान नंबर 33 रकबा 11.70 हैक्टयर के 1/10 हिस्सा मूँसि-भाग के काबिल, काइतकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 09 साधिकार है जिनका शौतिक कब्जा साधिकार निरन्तर निर्बाध रूप से आज तक चला आ रहा है बरत वृक्ष वंश उक्त मूँसि वादी संख्या 1 का 1/40 हिस्सा मूँसि-भाग वादी संख्या 2 का 1/40 हिस्सा मूँसि-भाग हिस्सा 3 व प्रतिवादी संख्या 9 का संयुक्त 1/40 हिस्सा मूँसि-भाग तथा वादीगण संख्या 4 व 5 का संयुक्त 1/40 हिस्सा मूँसि-भाग है और इसी कदर उक्त आपने पूर्वज अमरराम के समय से कब्जा काइत आज तक चला आ रहा है।


उक्त वादीगण के पूर्वज अमरराम द्वारा कय की गई मूँसि का खाता स्व. अमरराम के नाम विधिवत जारिय नामान्तरण संख्या 243 साधिकार स्वीकृत हो गया जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में हो गया था।

मूँसि खसरा नंबर 28 रकबा 11.70 हैक्टयर वर्तमान खसरा नंबर 33 रकबा 11.70 हैक्टयर के 1/5 हिस्सा मूँसि-भाग के काबिल, खातेदार, काइतकार प्रतिवादी संख्या 01 संवारम था उसके 1/5 हिस्सा मूँसि में से 1/2 हिस्सा मूँसि-भाग अर्थात कुल का 1/10 हिस्सा मूँसि-भाग अर्थात कुल का 1/10 हिस्सा मूँसि-भाग अर्थात कुल का 1/10 हिस्सा मूँसि-भाग पुरे उदारम जालि जाट निवासी ग्राम नयाबास की जारिय पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 14/03/1983 साधिकार कय कि हुई है तभी से वादीगण के पूर्वज अमरराम का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 9 के साथ शौतिक कब्जा काइत निरन्तर निर्बाध रूप से साधिकार रहता रहा है और आज भी वादीगण का शौतिक कब्जा है।

कलकत्ता के ग्राम नयाबास के तन में मूँसि खसरा नंबर 28 रकबा 46 बिघा 5 हिस्सा अर्थात 11.70 हैक्टयर वर्तमान खसरा नंबर 33 रकबा 11.70 हैक्टयर अवस्थित है।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का साक्षित विवरण इस प्रकार है कि तहसील निर्णय दिनांक:-11.05.2018

उपखण्ड अधिकारी - वादीगण



उपजिल्हा अधिकाऱ्यांचे कार्यालय (श्रीका)
मुंबई

प्रतिवादीगण को जरीय स्थाने निर्धारण पाबन्द करमाया जावे कि वे खसरा नंबर 28 रकबा 11.70 हेक्टर वर्तमान नंबर 33 रकबा 11.70 हेक्टर वाक ग्राम नयाबास तहसील फतेहपुर के वादीगण के 1/10 हिस्सा भूमि-भाग के शैतिक कब्जे काहेत उपयोग उपयोग भूमि

भूमि-भाग निरस्त उदघोषित किया जावे।

भूमि-भाग है। तथा खाला बनान प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 बाबत वादीगण के 1/10 हिस्सा संख्या 9 का संयुक्त 1/40 हिस्सा वादीगण संख्या 4 व 5 का संयुक्त 1/40 हिस्सा 1/40 हिस्सा वादीगण संख्या 2 का 1/40 हिस्सा और वादीगण संख्या 3 व प्रतिवादीगण 09 को उदघोषित किया जावे तथा यह भी उदघोषित किया जावे कि वादीगण संख्या 01 का के 1/10 हिस्सा भूमि-भाग का काबिल, खातेदार, काहेतकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या हेक्टर वर्तमान खसरा नंबर 33 रकबा 11.70 हेक्टर वाक ग्राम नयाबास तहसील फतेहपुर वाद वादीगण बहक वादीगण डिफ्री किया जाकर भूमि खसरा नंबर 28 रकबा 11.70

2 ता 8 से किया। तो वाद टालमटोल अब 5 दिन से वे साफ इंकार है।

वनी हुई होने की जानकारी होने पर खाला रुकस्त करवा देने का निवेदन प्रतिवादीगण संख्या वादीगण ने अब नकल लेने पर प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 के नाम गलत खातेदारी

करवाने के अधिकारी है।

अंतरण पत्र लिखने लिखवाने व पुनर्कीर्त करने करवाने से जरीय स्थाने निर्धारण पाबंद देखल देने दिवाने से उक्त भूमि का किसी अन्य के नाम अन्तरण करने करवाने या कोई भी से वादीगण प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काहेत उपयोग उपयोग भूमि प्रकार से रूप से वादीगण के कब्जे काहेत में होने से तथा वादीगण का ही वर्तमान में कब्जा काहेत होने वादीगण को उक्त भूमि का 1/10 हिस्सा भूमि भाग उत्तराधिकार में प्राप्त होकर पूर्वक

तपर है जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है।

कब्जे के नुमायशी तौर पर अन्य व्यक्तियों को अन्तरण करने करवाने को करीब 15 दिन से उपयोग उपयोग में देखल देने दिवाने को उक्त भूमि को बिना किसी हक अधिकार के बिना संख्या 2 ता 8 वादीगण के उक्त भूमि के 1/10 हिस्सा भूमि-भाग के शैतिक कब्जे काहेत के नाम उक्त भूमि की खातेदारी गलत रूप से अंकित हो जाने के आधार पर प्रतिवादीगण कोई संशय सरकार कतई किसी भी प्रकार से नहीं होने पर भी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 का उक्त भूमि के वादीगण के 1/10 हिस्सा भूमि-भाग से प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 का

निरस्त करवाने के अधिकारी है।

निरस्त उदघोषित करवाने तथा खाला बनान प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 1/10 हिस्सा भूमि-भाग के कब्जे काहेत में होने से वादीगण उक्त भूमि के 1/10 हिस्सा भूमि-भाग का खाला अपने वादीगण 1/10 हिस्सा भूमि-भाग वादीगण को उत्तराधिकार में प्राप्त होकर वादीगण 1/10 हिस्सा भूमि-भाग वादीगण के पूर्वज अमराराम के खातेदारी व कब्जे काहेत की नंबर 28 रकबा 11.70 हेक्टर वर्तमान खसरा नंबर 33 रकबा 11.70 हेक्टर



उपरोक्त अधिकांश (सीक) कर्तव्य

(Handwritten signature)

निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

बारे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गयी। प्रति. सं. 1 की अंतर् से श्री इमरान खान एड. ने कालतनामा पेश किया व जवाब पेश नहीं करने पर जवाबदेही बढ़ की गयी। प्रति. सं. 2 ता 11 बावजूद तामील के हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लयी गयी। प्रकरण में तहसीलदार, फतेहपुर से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार, फतेहपुर से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली का मती भांति अवलोकन किया गया। अतः बाद वादी हकी किया जाता है कि मूमि खसरा नंबर 28 रकबा 11.70 हैक्टयर वर्तमान खसरा नंबर 33 रकबा 11.70 हैक्टयर वाके ग्राम नयाबास तहसील फतेहपुर के 1/10 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 09, वादीगण संख्या 01 का 1/40 हिस्सा वादीगण संख्या 2 का 1/40 हिस्सा और वादीगण संख्या 3 व प्रतिवादीगण संख्या 9 का संयुक्त 1/40 हिस्सा वादीगण संख्या 4 व 5 का संयुक्त 1/40 हिस्सा तथा खाला बनान प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 बाबत वादीगण के 1/10 हिस्सा मूमि-भाग निरस्त उदघोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

बारे

... को रखने देने दिनांक से व उक्त मूमि-भाग को किसी भी प्रकार से अंतरण ... को रखने देने दिनांक से व उक्त मूमि-भाग बाबत कोई भी अंतरण पत्र लिखने लिखवाने व पंजीकृत ... को रखने देने दिनांक से व उक्त मूमि-भाग बाबत वाके वाके व ऐसीएड बाज रहे।

उपखण्ड अधिकाारी (सीकर)

१२



उपवीणा/खाला संवाहन व खाई निषेधाज्ञा

प्रतिवादीगण.....

1. माराम पुत्र ज्ञानाराम जालि जाट निवासी ग्राम नयाबास तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.
2. फूलचन्द
3. हणमान
4. कमला
5. समस्त पुत्रगण व पुत्री स्व. रामदेवाराम
6. बालाराम पुत्र ज्ञानाराम
7. जगदीश पुत्र रामकर्मर
8. शिवापाल पुत्र ज्ञानाराम
9. सुनील उम्र 30 वर्ष स्व. हुकमाराम पुत्र स्व. अमरराम ग्राम नयाबास तहसील समस्त जालि जाट निवासी ग्राम नयाबास तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.
10. तहसीलदार एवं उपपत्नीयक फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.
11. केनरा बूक शाखा फतेहपुर जिला सीकर राज.
12. जिला कलेक्टर सीकर जिला सीकर राज.

बनाम

वादीगण.....

1. जयसम पुत्र स्व. अमरराम जालि जाट निवासी ग्राम नयाबास तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.
2. रामचन्द पुत्र स्व. अमरराम जालि जाट निवासी ग्राम नयाबास तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.
3. परमेश्वरी देवी पत्नी स्व. हुकमाराम पुत्र स्व. अमरराम जालि जाट निवासी ग्राम नयाबास तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.
4. सतीष पत्नी स्व. खानाराम पुत्र स्व. अमरराम जालि जाट निवासी ग्राम नयाबास तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.
5. राजेश पुत्र स्व. खानाराम पुत्र स्व. अमरराम जालि जाट निवासी ग्राम नयाबास तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.

प्रमाणित उपखण्ड अधिकाारी (सीकर) मुकाम..... फतेहपुर (सीकर)

(दि. 20 मई 6-7 जाला दीवानी)

पर्या लिफा मुकदमा इलाहाई

नोट - इस खर्चा के काम पर कुल खर्चा हर दो पुरीकत का चाहे हिस्से के जरिये दिखाया गया हो या नहीं।

| | | | | | |
|---------------------|------|------|---------------------|------|------|
| मुर | कपया | पैसा | मुदयलह | कपया | पैसा |
| स्टाम अर्जी दावा | 3 | 1 | स्टाम अर्जी दावा | 1 | 1 |
| स्टाम वकालत नामा | 1 | 1 | स्टाम वकालत नामा | 1 | 1 |
| स्टाम वजह सर्बत | - | - | स्टाम वजह सर्बत | - | - |
| महत्ताना वकील | - | - | महत्ताना वकील | - | - |
| खर्चा गावान | - | - | खर्चा गावान | - | - |
| फीस कम्पेनर | - | - | फीस कम्पेनर | - | - |
| वगत इजराय हुक्मनामा | - | - | वगत इजराय हुक्मनामा | - | - |
| मुतफरिक | - | - | मुतफरिक | - | - |
| मीजान | 4 | - | मीजान | 1 | - |



दस्ताखत
 (फीस कम्पेनर)
 ओहदा

बसब मुरे दस्ताखत व मुर अदालत के आज तारीख 11 माह मई सन 2017 को जारी की गई।
 तारीख अदायगी तक का अदा करें।
 खर्चा इस मुकदमे के मय बाँट बखारह फीसदी सालाना आज की तारीख से
 निज मुबलगा बाबत फीसदी सालाना आज की तारीख से

रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा। खर्चा फीकेन अपना - अपना वहन करेंगे।
 वादीगण के 1/10 हिस्सा मुँसि-भाग निरस्त उदघोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
 संख्या 4 व 5 का संयुक्त 1/40 हिस्सा तथा खाता वनाम प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 बाबत
 हिस्सा और वादीगण संख्या 3 व प्रतिवादीगण संख्या 9 का संयुक्त 1/40 हिस्सा वादीगण
 प्रतिवादीगण संख्या 09, वादीगण संख्या 01 का 1/40 हिस्सा वादीगण संख्या 2 का 1/40
 रकबा 11.70 हैक्टयर वाके ग्राम नयाबास तहसील फतेहपुर के 1/10 हिस्सा वादीगण व
 हिस्से दी जाती है कि मुँसि खसरा नंबर 28 रकबा 11.70 हैक्टयर वर्तमान खसरा नंबर 33
 मिनजानिब मुदयलह पैश होकर हुक्म दिया जाता है व
 व खिस्ती श्री रानीश महला एडवोकेट मिनजानिब मुदई कबक श्री इमरान खान
 व इमरान खान वस्ती इनाफिसाल कतई कबक मुरे
 सन 2016

